परिपत्र संख्या- स0द0/2023-24/ 231 /कम्प्यूटर परि0सं0/2324007 /राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचल दल- अनुभाग)

लखनऊ:: दिनॉक:: 19 मई, 2023

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1

अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:: प्रदेश में पान-मसाला, तम्बाकू पदार्थ व इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं पैकिंग मैटेरियल के परिवहन के दौरान विशेष जांच अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में।

आप सभी अवगत है कि दिनांक 01.04.2023 से संवेदनशील वस्तुओं जैसे पान-मसाला एवं तम्बाकू की आपूर्ति पर सेस की दर में परिवर्तन के साथ-साथ इसकी देयता अधिकतम खुदरा मूल्य(MRP) पर है। पान-मसाला/तम्बाकू करापवंचन के दृष्टिकोण से अत्यन्त संवेदनशील वस्तुऐं है। सेस की देयता में परिवर्तन के दृष्टिगत इन वस्तुओं में बिना अधिकतम खुदरा मूल्य(MRP) में वृद्धि किये करापवंचन की सम्भावना और बढ़ जाती है। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सुपाड़ी एवं पैकिंग मैटेरियल की आपूर्ति हेतु बोगस पंजीयन प्राप्त करते हुए अपंजीकृत व्यापारियों को बिल आफ सप्लाई से आपूर्ति किए जाने की क्रियाविधि सामान्य रुप से प्रचलित है। विशेष जांच अभियान के कारण सकारात्मक परिणाम के रूप में पान-मसाला, तम्बाकू पदार्थ व इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं पैकिंग मैटेरियल के करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए राजस्व सुरक्षित हो सकेगा जिससे प्रदेश के राजस्व संग्रह में सकारात्मक वृद्धि संभव हो सकेगी।

विभागीय एम०आई०एस० पर उपलब्ध डाटा के अनुसार पान-मसाला एवं तम्बाकू की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की इनवर्ड/आउटवर्ड आपूर्ति से सम्बंधित जनरेट किए गये ई-वे बिलों के समय एवं आवृत्ति तथा वास्तविक रूप से होने वाली आपूर्ति का सम्यक विश्लेषण करते हुए राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया जाना आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है। अत: समविषयक माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच का विशेष अभियान पूरे प्रदेश में दिनांक 22.05.2023 से अग्रिम आदेशों तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।

कतिपय समाचार पत्रों में इस आशय की खबर प्रकाशित हुई है कि 'पान मसाला बाजार में 40 फीसदी नकली माल बेचा जा रहा है तथा यू0पी0, दिल्ली एन0सी0आर0 में 150 से ज्यादा पान मसाला मशीने चोरी छिपे चलायी जा रही है। इन मशीनों मे से आधी असली वालो की हैं।' विशेष जांच अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार की गतिविधियों के सम्बन्ध में

विशेष आसूचना (Intelligence) संग्रह करते हुए यथोचित कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय। नकली पान मसाला निर्माण सम्बन्धी कोई प्रकरण पाये जाने की दशा में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) को भी लिखित रुप में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।

विशेष जांच अभियान के कारण नियमित रुप से की जाने वाली जांच प्रभावित नहीं होगी। प्रत्येक जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर द्वारा विशेष अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में सचलदल अनुभाग मुख्यालय के ई-मेल ctcphqlu-up@nic.in पर दैनिक रुप से प्रेषित की जाएगी।

प्रारुप

पान-मसाला, तम्बाकू व इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं पैकिंग में प्रयुक्त होने वाले माल की विशेष जांच अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

जोन का नाम.....................   जांच का दिनांक-------------------

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	जी0एस0 टी0एन0	माल का नाम	माल का मूल्य	सत्यापित किए गये ई-वे बिलों की संख्या	दोषी मामलों की संख्या	मोड आफ इवेजन	अभिग्रहीत माल का मूल्य	जमा कर/ अर्थदण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

19/5/23

(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।